



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 04.05.2026 को थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति शिवहद नहर पुलिया के पास अवैध तमंचा लिए घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शैलेन्द्र उर्फ करिया पुत्र स्वयंवर निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 147/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी खुरहण्ड
2. कां0 सोनपाल कुशवाहा